दिनांक 04.10.2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना में जनपद के समस्त विकास खण्डों में आ रही समस्याओं/कठिनाइयों के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना में जनपद के समस्त विकास खण्डों में आ रही समस्याओं/कठिनाइयों के सम्बन्ध मे समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से आख्या प्राप्त की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.10.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे से अब्दुल कलाम सभागार कक्ष, कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसके कार्यवृत्त का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक--18.10.2024 को किया गया। समीक्षा बैठक मे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें-

1. श्री चन्द्र शेखर शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
2. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
3. श्री डी0एन0 प्रसाद, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
4. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद--हमीरपुर।
6. श्री मानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
7. शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
8. श्री आशीष बाजपाई, सहायक अभियंता, इले0 एण्ड मैके0, एस.डब्लू.एस.एम., हमीरपुर।
9. श्री मोहनीश शारदा, QA/QC Eng., सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0), हमीरपुर।
10. श्री आर.के.शुक्ला, सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0, हमीरपुर।
11. श्री दीपक कुमार, QA/QC Eng., पी0एम0सी0, हमीरपुर।
12. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
13. श्री कौशलेन्द यादव, इंजी0 JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
14. श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
15. श्री संगमनाथ पाण्डेय, मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
16. श्री प्रमोद, असि0मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
17. श्री प्रभांशु गुप्ता, सीनियर इंजीनियर, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
18. श्री अशोक कुमार, प्रोजेक्ट को--आर्डिनेटर, डी0पी0एम0 श्री हरि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स।
19. श्री रोहित गुप्ता, मै0 नरेन्द्र कुमार गुप्ता।
20. श्री प्रिन्स सिंह, जय माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्सन।

खण्ड विकास अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत पत्यौरा डांडा/पुर्नगठन ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत ग्राम विदोखर मेदनी में 264 बाकी 296, बिलहड़ी 380, पत्यौरा डांडा 330, मवईजार 464, पंधरी 254, चन्द्रपुरवा बुजुर्ग 425, कैथी 294 तथा ग्राम टेढ़ा में 230 नल संयोजन अवशेष है तथा ग्राम बिलहड़ी, मुण्डेरा, अतरैया, छानी खुर्द, छानी बुजुर्ग, धनपुरा, पचखुरा, भौनिया, कैथी

Scanned with OKEN Scanner

तथा ग्राम टेढ़ा में जलापूर्ति अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी है एवं अधिकांश ग्रामों में रोड़–रेस्टोरेशन कार्य शेष है। खण्ड विकास अधिकारी, मौदहा द्वारा बताया गया कि पत्यौरा डांडा/पुर्नगठन ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम करहिया में 290, मसगवां 280, इचौली 280, खण्डेह 580, छिमौली 250, पढोरी 482, सिलौली 225, पाटनपुर 278, पिपरौंधा 210, उपरी 300, छिरका 270, मकरांव 340 तथा ग्राम परछा 300 में नल संयोजन किया जाना शेष है तथा ग्राम बुढ़ई, गढ़ा, पारा, मुटनी, कम्हरिया, चकदहा, गुरदहा, छिमौली, नरायच, मदारपुर, चाँदीकला, बिहरका, कपसा, भैंसमरी, मकरांव, परछा तथा सिजनौड़ा में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है। अधिकांश ग्रामों में आंशिक जलपूर्ति की जा रही है तथा रोड़–रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर अवशेष कार्यों को पूर्ण करायें तथा सभी ग्रामों में निरंतर रूप से रोस्टर के अनुसार पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। योजना से आच्छादित सभी अवर जलाशयों/ग्राम पंचायत केन्द्र/प्रा0/ उ0प्रा0 विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति का समय/रोस्टर अंकित करा दिया जाय। पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सडकों के रेस्टोरेशन का कार्य 10 दिवस के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

खण्ड विकास अधिकारी, कुरारा द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर/पुर्नगठन ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत ग्राम पतारा डांडा में 464, खरौंज 134, सिकरोड़ी डांडा 198, शेखूपुर 340, भौली 303, जमरेहीउपर 288, जखेला 276, झलोखर 191 में नल संयोजन किया जाना शेष है तथा मनकीखुर्द, मिश्रीपुर तथा शिवनी में नल संयोजन नहीं किया गया है। ग्राम पतारा डांडा, खरौंज, कुतुबपुर, भौली, जमरेहीउपर, बचरौली में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है। ग्राम पतारा डांडा में 17, बरूआ में 10, डामर में 13, झलोखर 29, कुरारा देहात में 22 मार्ग रेस्टोरेशन हेतु शेष हैं। खण्ड विकास अधिकारी मुस्करा द्वारा बताया गया कि ग्राम मुस्करा में 2026, बसवारी 244, शिवनी 285, गहरौली 700, पहाड़ भिटारी 1046, हुसैना, 239, मसगॉव 483, न्यूरिया 202, टीहर 282, बीवॉर 2045, नेवादा 379, करगॉव 305 बाधुर बुजुर्ग 568 नल संयोजन संयोजन किया जाना शेष है। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अधिकांश ग्रामों में आंशिक जलपूर्ति की जा रही है, ग्राम के सभी मोहल्लों/परिवारों को जलापूर्ति नहीं हो रही है तथा रोड़–रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर रोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर अवशेष कार्यों को पूर्ण करायें तथा सभी ग्रामों में निरंतर रूप से रोस्टर के अनुसार पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। योजना से आच्छादित सभी अवर जलाशयों/ग्राम पंचायत केन्द्र/प्रा0/उ0प्रा0 विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति का समय/रोस्टर अंकित करा दिया जाय। पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों के रेस्टोरेशन का कार्य 10 दिवस के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्मों द्वारा योजना से आच्छादित कुछ ग्रामों में बिना कार्य पूर्ण कराये तथा बिना नियमित जलापूर्ति के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्मो को निर्देशित किया गया कि शत–प्रतिशत नल संयोजन, रोड़–रेस्टोरेशन तथा नियमित जलापूर्ति करते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित कराकर नियमानुसार हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाय। अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया प्रतिदिन 05 ग्रामों का सत्यापन कर सत्यापन आख्या उपलब्ध करायें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नल संयोजन, रोड़–रेस्टोरेशन तथा नियमित जलापूर्ति की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया। सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0) के प्रतिनिधि व अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया कि यदि रोड़ रेस्टोरेशन आदि कार्य पूर्ण किये बिना फर्म के कार्यों का पोर्टल पर फीडिंग/सत्यापन अथवा भुगतान किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह

Scanned with OKEN Scanner

पेयजल योजना तथा पत्यौरा डांडा ग्राम समुह पेयजल योजना व पुर्नगठन पाइप पेयजल योजना से अच्छादित ग्रामों जिनका कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, सत्यापन करा लिया जाय की पाइप लेइंग, नल संयोजन तथा रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य मानको के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण करा लिया गया है, कोई भी ग्राम/मोहल्ला शेष नहीं है तथा अवर जलाशयों के माध्यम से नियमति रूप से रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति की जा रही है। यदि कार्य पूर्ण नहीं करायें गये हैं तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध अनुबंधानुसार/विधिक कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त राइजिंगमेंन तथा वितरण प्रणाली पाइप की लैब द्वारा टेस्टिंग करा ली जाय कि बिछायी गयी पाइप मानकानुसार प्रयोग की गयी है अथवा नहीं तथा ट्रेंच की मानक अनुसार गहराई/चौड़ाई की जॉच भी करा ली जाय, जिससे भविष्य में पाइप लाइन छतिग्रस्त/लीकेज की समस्या कम हो। जिन ग्रामों में "हर घर जल" प्रमाणीकरण का कार्य हो चुका है, उन ग्रामों में रोड़–रेस्टोरेशन, नल संयोजन व नियमित जलापूर्ति का कार्य शेष न रहे।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजना के सभी घटकों यथा नलकूप, पम्प हाउस, अवर जलाशय, पाइप लेइंग, नल संयोजन आदि पर अवशेष कार्यों को पर्याप्त मानवशक्ति तथा मशीनरी लगाकर एक साथ समान्तर रूप से निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें। नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रूचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

21.10.2024

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)
O/C हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या–808/न0गंगे–पे0यो0–स0बै0(2024–25) दिनांक–21 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हमीरपुर।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हमीरपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।
7. अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई–मेल द्वारा)
8. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0)/सुपरविजन इंजी0, पी0एम0सी0 हमीरपुर।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0/जनरल मैनेजर, जे0डब्लू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
10. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मो को अनुपालनार्थ। (ई–मेल द्वारा)

21.10.2024

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)
O/C हमीरपुर।

Scanned with OKEN Scanner